संख्या-3692 /55–पर्या/13–185 (पर्या)/12

प्रेषक,

श्री वी0 एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0 प्र0।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2013

विषयः **प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना अथवा क्षमता विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 3295/55–पर्या/13–185 (पर्या)/2012, दिनांक 30 जुलाई 2013 द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित/स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना अथवा क्षमता विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, के कार्यालय ज्ञाप सं0–जी0 03451/सी0 4/एन0ओ0सी0/जी0 438/07, दिनांक 04.12.2007 द्वारा प्रदेश में स्थापित /प्रस्तावित पशुवधशाला एवं फ्रोजन मीट के सम्बन्ध में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतो/जनहित याचिका/वाद/जनपद स्तर पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को देखते हुये इस आशय के आदेश पूर्व में ही निर्गत किये गये हैं कि पशुवधशाला एवं फ्रोजन मीट को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व जिला प्रशासन से लॉ एण्ड आर्डर इत्यादि के सम्बन्ध में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

2– कृपया उर्पयुक्त आदेशों को प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(वी0 एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

--2

पृष्ठांकन सं0 3692 (1)/55–पर्या0–2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0।
3– संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0 प्र0।
4– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त शासनादेश को वेबसाइट पर भी डलवाने का कष्ट करें।
5– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव